न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 36 / 2017

रिड़मल पुत्र खमाराम जाति जाट निवासी ढीलसर तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. ओमप्रकाश पुत्र भानाराम जाति मेघवाल निवासी ढीलसर,तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. सुमेर पुत्र भानाराम जाति मेघवाल निवासी ढीलसर,तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3. मेहर सिंह पुत्र हणमानाराम जाति जाट निवासी ढीलसर,तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4. शीशराम पुत्र हणमानाराम जाति जाट निवासी ढीलसर,तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5. बजरंग लाल पुत्र हणमानाराम जाति जाट निवासी ढीलसर,तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
6. दयानन्द पुत्र हणमानाराम जाति जाट निवासी ढीलसर,तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाउ जिला झुंझुनू जरिये मैनेजर।

— रेस्पोडेन्टस

अपील खिलाफ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर निर्णय दिनांक 13.06.2017
उनवानी रिड़मल बनाम ओमप्रकाश आदि। मु0नं0 01 / 2017

उपस्थितिः—

1 .श्री विनोद गिल, एडवोकेट ———————— अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जयप्रकाश पूनियां, एडवोकेट ——— ————रेस्पोडेंट नं0 5 की ओर से।
3. श्री सुभाष चन्द,एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 23.12.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.06.2017 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर उनवानी रिड़मल बनाम ओमप्रकाश आदि मु0नं0 01 / 2017 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अपीलांट का कथन है कि उसने अदालत मातहत के समक्ष अं0 धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो अदालत मातहत ने राजस्व केम्प में बिना किसी आधार पर दिनांक 13.6.2017 को खारिज कर दिया जो खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलार्थी को नोटिस दिया और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया। अदालत मातहत का निर्णय प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अदालत मातहत के समक्ष एबीसी जो रास्ता प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है, वह कदीमी है।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

मौके पर एबीसी रास्ता के निशान मौजूद हैं। प्रार्थी/अपीलार्थी के खेत खसरा नंबर 303,304, 305 में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपीलार्थी ए स्थान पर किये गये अवरोध को खुलवाने का अधिकारी है। अपीलार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग 40 वर्षों से अधिक समय से कर रहा है। अदालत मातहत ने ना कोई मौका देखा और ना ही हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त की और ना ही प्रार्थी को सूचित किया ना ही गांववालों से कोई पूछताछ की, ना ही बयान लिये। अदालत मातहत का निर्णय,निर्णय की तारीफ में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 13.6.2017 निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को रास्ते बाबत जांचकर गुणागुण पर निर्णय पारित करने के लिए निर्देशित करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– उसने अदालत मातहत के समक्ष अं0 धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो अदालत मातहत ने राजस्व केम्प में बिना किसी आधार पर दिनांक 13.6.2017 को खारिज कर दिया जो खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलार्थी को नोटिस दिया और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया। अदालत मातहत का निर्णय प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अदालत मातहत के समक्ष एबीसी जो रास्ता प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है, वह कदीमी है। मौके पर एबीसी रास्ता के निशान मौजूद हैं। प्रार्थी/अपीलार्थी के खेत खसरा नंबर 303, 304, 305 में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपीलार्थी ए स्थान पर किये गये अवरोध को खुलवाने का अधिकारी है। अपीलार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग 40 वर्षों से अधिक समय से कर रहा है। अदालत मातहत ने ना कोई मौका देखा और ना ही हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त की और ना ही प्रार्थी को सूचित किया ना ही गांववालों से कोई पूछताछ की, ना ही बयान लिये। अदालत मातहत का निर्णय,निर्णय की तारीफ में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 13.6.2017 निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को रास्ते बाबत जांचकर गुणागुण पर निर्णय पारित करने के लिए निर्देशित करने का निवेदन किया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि– अपीलांट के ममो आफ अपील व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह वर्णित नहीं किया गया कि अपीलांट का किस खसरा नंबर की भूमि में से तथाकथित रास्ते में अवरोध हुआ और किसके द्वारा किया गया। रास्ता किस व्यक्ति की टीनेन्सी की

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

भूमि से गुजरता है। अपीलांट के समस्त अभिवचन वेग हैं, जिन पर ना तो विचार किया जा सकता और ना ही कोई सिद्धि प्रदान की जा सकती। अपीलांट द्वारा दर्शाया गया एबीसीडी रास्ता न तो कभी मौजुद रहा और ना ही अपीलांट के खेत में जाने का यह रास्ता है। अपीलांट ने जानबूझकर अधूरा नक्शा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया हैं। अपीलांट के खेत के उतर में सार्वजनिक जोहड़ की भूमि खसरा नंबर 275 स्थित है जिसमें से एक आम रास्ता ढीलसर से गांव के खेतों में होता हुआ आगे के गांवों में जाता है। उक्त जोहड़ के दक्षिण से सटकर अपीलांट का खेत खसरा नंबर 305 स्थित है, जिसके दक्षिण में सटकर खेत खसरा नंबर 304 व 303 स्थित है। रेस्पोडेंट के खेत से कभी अपीलांट का रास्ता नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 252 राज. काश्तकारी अधि0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से व निर्णय से पूर्व मौका देखने पर रेस्पोडेंट सं0 1के खेत में से रास्ता नहीं होना पाया और प्रार्थना विधिनुसार सही खारिज किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2016 (2) एच0सी0 पेज 478, आर0आर0डी. 1997 आर.बी. पेज 478, आर. आर.टी. 2011–12 सुप्रीम कोर्ट आर.आर.बी. पेज 372, आर. आर.टी. 2014 (2) आर.बी. पेज 1154 पेश किये तथा कथन किया कि धारा 251 राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता और न अपीलांट नये रास्ते की मांग कर सकता। अतः अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज फरमायी जाये।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया गयाहै कि उसने स्वयं ने मौका निरीक्षण किया, खसरा नंबर 308 मेंकोई कदीमी रास्ते के निशान नहीं हैं। खसरा नंबर 308 खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण करना बताया गया है,लेकिन पत्रावली पर कोई फर्द मौका निरीक्षण रिपोर्ट नहीं है। ना ही हल्का पटवारी की कोई रिपोर्ट है। प्रार्थी /अपीलांट ने कदीमी रास्ते को खुलवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, न कि नये रास्ते की मांग की गई है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत नये रास्ते को लेकर प्रस्तुत किये गये हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अपीलांट का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो मौका देखा गया और ना ही हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है, दोनों के कथन विरोधाभाषी हैं। अगर तहसीलदार मलसीसर द्वारा उक्त विवादित रास्ते का अगर हल्का पटवारी के साथ मौका देखा गया है तो फर्द मौका रिपोर्ट पत्रावली पर होनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

स्वीकार प्रकरण को पुनः तहसीलदार मलसीसर को पुनः सुनवाई के लिये भेजा जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 मु0नं0 01/2017 उनवानी रिड़मल बनाम ओमप्रकाश निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण को पुनः दर्ज कर स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सम्पूर्ण साक्ष्य के उपरान्त गुणागुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। मिसल आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.01.03 12:03:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: